हिन्दी के विभिन्न रूप : महत्व विवेचन

शमीना खान[1], डॉ. रामचन्द्र मालवीय[2]
[1,2]आईसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

I प्रस्तावना

हिन्दी हमारी शब्दभाषा के रूप में पूरे भारत में प्रचलित एवं मान्य भाषा है। देश स्वतंत्र होते ही राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी को हमने अपनाया है। हिन्दी भाषा पूरे भारत और भारत के संविधान की "जान मान और शान है", मानो एक प्रकार से हिन्दी पूरे भारत का दिल है। यह भारत का गौरव है, हिन्दी भाषा का विकास देश का विकास है। आज हिन्दी के नियम मान्यताओं से प्रमाणित है व महान् देश के अनेक कवि और सरकारों ने हिन्दी भाषा को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी और इसे अपनाया। हिन्दी साहित्य में आज तक हिन्दी कवि सूरदास, बिहारी, प्रेमचन्द, अज्ञेय, डॉ. रामचन्द्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंनदन पंत, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती आदि कवियों ने हिन्दी भाषा को अपनाया और प्रचार–प्रसार किया है। "महान् कवियों ने हिन्दी भाषा को अपना राष्ट्र रूपी धर्म कर्तव्य माना है और इसी हिन्दी भाषा से अपनी कहानी, उपन्यास, गद्य–पद्य, काव्य, विद्या सागर, साहित्य सागर का विकास किया है।"[1] यह इस बात का सूचक है कि हिन्दी भाषा द्वारा जागरूकता भाव उत्पन्न होता है।

II अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र को सम्पन्न करने हेतु संबंधित विषय एवं हिन्दी भाषा के संदर्भ में शोध के कुछ उद्देश्य निर्धारित है। "हिन्दी भाषा का विकास आवश्यक है जिसके कारण यह भाषा राजभाषा के रूप में अधिक उपयोगी है। वर्तमान समय में "हिन्दी भाषा" को अधिक से अधिक व्यापक रूप में उपयोग किया जाना आवश्यक है। विभिन्न नवाचारों व शिक्षा के साथ "हिन्दी भाषा" को जोड़े रखना आज महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में हिन्दी भाषा का प्रचार–प्रसार और अधिक विस्तृत रूप में होना चाहिए।"[2]

III शोध पद्धति

शोध पद्धति का आधार शोध के विविध आयाम और उनका विश्लेषण करना है। इसके लिए शोध पत्र की शोध पद्धति आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। शोधात्मक एवं नागरिकों के मानसिक विकास के लिए हिन्दी में शोध का उपयोग करना आवश्यक है। हमारे राष्ट्र में बच्चे अपनी मातृभाषा को बजाए दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा है और इसे हमेशा जीवित एवं उन्नतिमय बनाने हेतु हिन्दी के विद्वान और सरकारों के कर्तव्य है। इस सकर्म में विश्लेषणात्मक शोध पद्धति इस शोधपत्र के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध पत्र के विषय में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों परिकल्पनाओं के विषय लिये गये हैं। सकारात्मक परिकल्पना में शोध अध्ययन के अच्छे रूपों का विकास व वर्णन किया गया है। नकारात्मक परिकल्पना में शोध पत्र अध्ययन में हो रहे प्रमुख प्रभाव व हानि को स्पष्ट किया गया है।

IV विश्लेषण

(क) हिन्दी शब्द की उत्पत्ति

हिन्दी शब्द की उत्पत्ति "सिन्धु" शब्द से जुड़ी है, सिन्धु सिंध नदी को कहते हैं और जो सिन्ध नदी के आस–पास का क्षेत्र होता है, वह सिन्धु प्रदेश कहलाता है। संस्कृत शब्द सिन्धु हिन्दुओं के सम्पर्क में आकर हिन्दू या हिंद हो गया। इसे उच्चारित किया गया और इसमें प्रत्यय लगाने से हिन्दी शब्द बना जिसका अर्थ है "हिन्द का" और यही आगे चलकर "हिन्दी" शब्द बना हिन्दी भाषा बनी। "हिन्दी भाषा का साहित्य 1000 ई. से प्राप्त होता है और इससे पूर्व प्राप्त साहित्य अपभ्रंश में हैं। इनको हम "हिन्दी भाषा" की पूर्व पीठिका मानते हैं। आधुनिक हिन्दी भाषा का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न रूपों के द्वारा कुछ इस प्रकार हुआ है। अपभ्रंश, शौरसेनी, पेशाची, ब्राह्मणी, महाराष्ट्री, मगधी आदि है।"[3] हिन्दी के विकास दृष्टि से इसे इस प्रकार कह सकते हैं – आदिकाल–1000 से 1500, मध्यकाल–1500 से 1800, आधुनिक काल – 1800 से अब तक ।

(ख) इतिहास और कालखंड

"विश्व की अनेक प्राचीनतम संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी प्राचीनतम का प्रमाण यहाँ की भाषाओं से ही प्राप्त होता है।"[4] अगर हम भाषा की दृष्टि से कालखंड का विभाजन करें तो निम्न अनुसार मान्य है। (1) वैदिक संस्कृत (2) लौकिक संस्कृत (3) पाली (4) प्राकृत (5) अपभ्रंश (6) हिन्दी का आदिकाल (7) हिन्दी का मध्यकाल (8) हिन्दी का आधुनिक काल आदि।

(ग) संवैधानिक स्थिति

सुंयक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिन्दी दिवस 14 सितम्बर को मनाया जाता है। परन्तु हमने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि हिन्दी दिवस कब और कैसे 14 सितम्बर को मनाया जाने लगा ? और हिन्दी को किस तरह से संवैधानिक रूप प्रदान हुआ ? अगर हिन्दी को संवैधानिक रूप प्राप्त है तो आज हमारे राष्ट्रीय काम–काज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है। इस विषयक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच–विचार करने की जरूरत है।

15 अगस्त 1947 ई. को हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में परिवर्तन और विकास का माहौल था। कुछ समय बाद यह गौर किया गया कि हम सब को हिन्दी भाषा के लिए विशेष कार्य करना है। हिन्दी भाषा को हमारी शब्द भाषा के रूप में संविधान में भी दर्जा प्राप्त है।"[5] भारतीय संविधान द्वारा 14 सितम्बर 1949 ई. को स्वतंत्र रूप से हिन्दी भाषा को "देवनागरी लिपि" हिन्दी राज्य भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। हिन्दी भाषा को देश की राष्ट्र भाषा एवं राज्य भाषा की स्वीकृति है। परन्तु हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुभाषीय देश है जिसमें अनेक भाषाओं का समावेश है। हमारे देश में हिन्दी, उर्दू, अरबी, बंग्ला, गुजराती, मराठी, बिहारी, उड़ीया, असमिया, आदि भाषा बोली जाती है। हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में मान्य किया गया तो कुछ अन्य भाषीय लोगों को यह उचित न लगा क्योंकि वह लोग तो हिन्दी भाषा से ज्यादा परिचित ही नहीं थे।

"अन्य भाषायी नागरिक अपनी मातृभाषा से सम्पर्क के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया करते थे। इस तरह से उन्हें हिन्दी को अपनाने के लिए थोड़ा सा समय लगा, तभी भारतीय संविधान में 15 वर्षों तक के लिए हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया गया। 16 जनवरी सन् 1965 ई. तक सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सभी कार्यों में किया जाने लगा।"[6] केवल 15 वर्षों तक के लिए और अनु. 351 के तहत सरकार को यह कार्य सौंपा गया था कि 15 वर्षों में हिन्दी प्रचार–प्रसार वृद्धि करके व्यवहारिक रूप में समग्र भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित किया जाय। परन्तु 15 वर्ष होने से पहले ही केन्द्र सरकार ने 1963 ई. के भाषा विधेयक द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए "हिन्दी भाषा" की सहचरी भाषा घोषित कर दी। सरकार द्वारा हर एक कार्य–काल, काम–काज में हिन्दी भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होने लगा। बैंकों में अगर एक फार्मेट हिन्दी भाषा में प्राप्त होता है तो वही दूसरा फार्मेट अंग्रेजी भाषा में मिलेगा। उदाहरण के लिए नगरपालिका, बैंक, डाकघर, कोर्ट, कचहरी आदि में सभी कार्य दोनों भाषाओं में किया जाने लगा है।

(घ) हिन्दी भाषा

देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुरूति देव, नागरी लिपि, मंगल लिपि आदि। "भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक राज्य हैं। सभी राज्यों की भाषा भी अलग–अलग हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत की चौदह भाषाओं को प्रमुख मानते हुए हिन्दी को उसकी व्यापकता और परम्परागत महत्वपूर्ण स्थिति के कारण राष्ट्रभाषा का दर्जा मान्य किया है।"[7] कोई एक भाषा उस देश का स्वाभाविक विकास और विस्तार करती हुई–अधिक से अधिक जन समूह के विचार–विनिमय और व्यवहार का विशेष माध्यम बन जाती है। सरकारी कामकाज की केन्द्रीय भाषा के रूप में यदि एक भाषा स्वीकृत न होगी तो, प्रशासन में नित्य ही व्यवहारिक अनेक कठिनाईयाँ आयेंगी। अतः इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी भाषा को कामकाज के रूप में मान्य किया गया। अब अनेक राज्यों में हिन्दी में ही कार्य हो रहा है। कुछ कठिनाई हो तो साथ में अंग्रेजी अनुवाद भी करके दिया जाने लगा है।

V उपसंहार

"हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों के रूप में, कह सकते हैं कि हिन्दी में व्यापकता, समृद्धता, अभिव्यक्ति की समर्थता, व्यापक शब्दकोष के साथ ही हिन्दी में विकास करने की भारी क्षमता है।"[8] हिन्दी को राष्ट्रभाषापद पर सुशोभित करने की मान्यता के साथ ही अहिन्दी भाषियों के लोगों ने भी हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने की पहल की थी। अतः आज राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी भाषा विराजमान है। भोपाल में वर्ष 2015 में हुआ "हिन्दी विश्व सम्मेलन" इसका स्पष्ट उदाहरण है। इसके पहले दुनिया में नागपुर 1975, मारिशस 1976, दिल्ली 1983, मारिशस 1993, शिनीडाड–ड्बेगो 1993, लन्दन 1999, सूरीनाम 2003, न्यूयार्क 2007, जोहान्सवर्ग 2012 आदि में यह हिन्दी सम्मेलन हो चुके हैं। यह परम्परा निरन्तर जारी है। अतः आज के समय में हिन्दी का प्रचार–प्रसार विशेष रूप से हो रहा है। हमारे देश के साथ–साथ हिन्दी दिवस अनेक देशों में भी मनाया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1] डॉ. निरन्जन सिंह : हिन्दी भाषा' पृ. 122, प्रकाशन : एन.एस. अग्रवाल एंड कम्पनी, दिल्ली।

[2] वही, पृ. 102, प्रकाशन : शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी, दिल्ली।

[3] डॉ. रमेश चन्द्र : हिन्दी भाषा विज्ञान। पृ. 79, विनय प्रकाशन, नई दिल्ली।

[4] डॉ. ब्रजकिशोर शर्मा : भारत सरकार विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय विधायी विभाग, राजभाषा खंड प्रथम संस्करण –1998, पृ. 101, प्रकाशन : नियंत्रण भारत सरकार, दिल्ली।

[5] डॉ. दिनेश गौतम : हिन्दी के रूप, पृ. 200, अजय प्रकाशन, आगरा।

[6] डॉ. दीपक गोयल : हिन्दी स्वरूप, पृ. 170 रमा प्रकाशन, दिल्ली।

[7] डॉ. ए.ओ. अग्रवाल : अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी, पृ. 75 हिन्दी पब्लिकेशन इलाहाबद।

[8] डॉ. पी.आर.एन. उपाध्याय : हिन्दी के सिद्धान्त, पृ. 114, ज्योति प्रकाशन, नई दिल्ली।